भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1831

सोमवार, 10 मार्च, 2025/19 फाल्गुन, 1946 (शक)

प्रवासी श्रमिक

1831. श्री कामाख्या प्रसाद तासा:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देशभर में प्रवासी श्रमिकों का कोई सर्वेक्षण कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में पूर्वोत्तर क्षेत्र से आए प्रवासी श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए कोई नीति बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार को पूर्वोत्तर क्षेत्र से दक्षिणी राज्यों में आए प्रवासी श्रमिकों के शोषण के संबंध में बढ़ती शिकायतों की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने देश में प्रवासी श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए उनके पंजीकरण हेतु कोई पोर्टल बनाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): श्रम और रोजगार मंत्रालय के संबद्ध कार्यालय श्रम ब्यूरो ने प्रवासी कामगारों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण किया है। सर्वेक्षण का क्षेत्रीय कार्य पूरा हो चुका है।

प्रवासी कामगारों के हितों के रक्षोपाय के लिए केन्द्र सरकार ने अंतर-राज्यीय प्रवासी कर्मकार (रोजगार विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 अधिनियमित किया था। यह अधिनियम अब व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं (ओएसएच) संहिता में समाहित कर लिया गया है। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता में प्रवासी कामगारों सहित सभी श्रेणियों के कामगारों के लिए गरिमा-पूर्ण कार्य दशाएं, न्यूनतम मजदूरी, शिकायत निवारण तंत्र, दुर्व्यवहार और शोषण से संरक्षण, कौशल संवर्धन और सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान किया गया है।

जारी..2/-

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 26 अगस्त, 2021 को ई-श्रम पोर्टल आरंभ किया है, जो प्रवासी कामगारों सहित असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस है, जो आधार से जुड़ा हुआ है। ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित कामगारों की विभिन्न श्रेणियों के पंजीकरण के लिए यह पोर्टल राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को उपलब्ध करा दिया गया है। दिनांक 04.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार प्रवासी कामगारों सहित 30.68 करोड़ से अधिक असंगठित कामगार ई-श्रम पर पंजीकृत हैं।

बजट घोषणा, 2024-25 के विजन को ध्यान में रखते हुए, असंगठित कामगारों के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच के लिए ई-श्रम को "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" के रूप में विकसित करने के लिए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 21 अक्टूबर 2024 को ई-श्रम-"वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" आरंभ किया। ई-श्रम-"वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा/ कल्याणकारी योजनाओं को एकल पोर्टल अर्थात ई-श्रम पर एकीकृत करना आवश्यक हो गया है। इससे ई-श्रम पर पंजीकृत प्रवासी कामगारों सहित असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच बनाने तथा ई-श्रम के माध्यम से अब तक उनके द्वारा प्राप्त लाभों को देखने में सुविधा होगी।

अब तक, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम-स्वनिधि), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (एनएफबीएस), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए), प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई), प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) और प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई), प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई) सहित विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों की 13 योजनाओं को पहले ही ई-श्रम के साथ एकीकृत/ मैपिंग किया जा चुका है।

*****